मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना

राजस्थान–सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ04(222)एमएनजेवाई/आरएमएससी /2015–16/ 511 — दिनांकः 31/8/15

अति आवश्यक
तृतीय स्मरण पत्र

समस्त संयुक्त निदेशक जोन ,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी ,
समस्त प्रमुख चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी,
समस्त ब्लाक चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी।

विषयः– मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना अन्तर्गत प्रतिदिन की जाने वाली निःशुल्क जांचों एवं लाभान्वित मरीजों की संख्या की आनलाइन रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– इस कार्यालय के पंत्राक 237 दिनांक 26.05.15 एवं पं0 329 दि0 08.07.15 के क्रम में।

उपरोक्त सन्दर्भ एवं विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना से सम्बन्धित समय–समय विधानसभा प्रश्नो एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के क्रम में मुख्यालय से चिकित्सा संस्थान की जांचो एवं लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या चाही जाती है।

इस सम्बन्ध में e-ausdhi software में इन्द्राज निःशुल्क जांचों एवं लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या एवं आपके कार्यालय से प्राप्त सूचना में निःशुल्क जांचों एवं लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या में काफी अंतर पाया जाता है जिसके कारण सही संख्या का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है एवं राज्य सरकार को सही सूचना प्रेषित नही की जा सकती है। अतः निःशुल्क जांचों एवं लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का नियमित इन्द्राज अतिआवश्यक है।

परन्तु बार–बार निर्देशित करने के उपरान्त भी चिकित्सा संस्थानों द्वारा e-ausdhi software में निःशुल्क जांचों एवं लाभान्वित मरीजों की संख्या का इन्द्राज नही किया जा रहा है, जिससे राज्य सरकार को निःशुल्क जांचो एवं लाभान्वित मरीजों की वास्तविक रिपोर्ट नही भिजवाई जा रही है इसे राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है।जो कि अत्यन्त खेदजनक है।

इस संबंध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि इस हेतु ब्लाक चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी को निर्देशित करें की :

- यदि किसी चिकित्सा संस्थान में LT/ALT नही है एवं कफ (sputum) एवं MP जांचों का कार्य निकटतम चिकित्सा संस्थान में करवाया जा रहा है तो उनकी संख्याओं का इन्द्राज अपने चिकित्सा संस्थान में ही करवावे।
- यदि किसी चिकित्सा संस्थान में IA/DEO नही है तो निःशुल्क जांचो एवं लाभान्वित मरीजों की संख्या का इन्द्राज निकटतम चिकित्सा संस्थान या ब्लाक स्तर पर करवाया जावें या संस्थान मे कार्यरत किसी कर्मचारी (लैब टेक्नीशीयन/असिस्टेंट रेडियोग्राफर/मेल नर्स/स्टाफ नर्स/ ए.एन.एम./फार्मासिस्ट) को e-ausdhi software में निःशुल्क जांचों एवं लाभान्वित मरीजों की संख्या के इन्द्राज का परीक्षण ब्लॉक या जिला स्तर पर करवा कर नियमित इन्द्राज की सुनिश्चिता करावें।

अतः आप सुनिश्चित करे की आपके अधीन चिकित्सा संस्थानों द्वारा नियमित रूप से e-ausdhi software में निःशुल्क जांचों एवं लाभान्वित मरीजों की संख्या का इन्द्राज किया जावे एवं बजट आवंटन उन्ही चिकित्सा संस्थानों को किया जावे जिनके द्वारा नियमित रूप से जांचो एवं लाभान्वित मरीजों की संख्या का इन्द्राज किया जा रहा है इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
उक्तानुसार की पालना सुनिश्चित कर तीन दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को रिर्पाट प्रस्तुत करें।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ04(222)एमएनजेवाई/डेलीआनलाईन रिपोर्टिंग/2015–16/ 511 — दिनांक : 31/8/15

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि0 एवं स्वा0 विभाग, जयपुर।
2. समस्त जिला कलक्टर।
3. नोडल अधिकारी/परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, जयपुर।
4. कार्यकारी निदेशक (ईपीएम), आरएमएससीएल मुख्यालय।
5. समस्त बायोमेडिकल इंजीनियर आरएमएससीएल को भेज के लेख है कि अपने अधीन चिकित्सा संस्थान की ऑनलाइन रिपोर्टिग पूर्ण करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को रिपोर्ट तीन दिवस में प्रेषित करें।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि वेबसाईट पर अपलोड एवं सम्बन्धित को मेल करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर